दिनांक–21.05.2026 को अपराह्न 04.30 बजे सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग की अध्यक्षता में संपन्न तिरहुत प्रमण्डल के जिलों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति–पंजी में संधारित।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का परिचय लेते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी। समीक्षा के क्रम में बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को निम्न निदेश दिये गयेः–

- माननीय न्यायालयों में लंबित CWJC/MJC के मामलों में किसी भी तरह के प्रतिकुल आदेश पारित किये जाने की स्थिति में संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी/सहायक निदेशक के स्तर पर लापरवाही की स्थिति में अनुशासनिक/विभागीय कार्रवाई की जायेगी।
- ईंट–भट्ठों से प्राप्त होने वाले राजस्व हेतु ईंट–भट्ठा मालिकों को समय–समय पर नोटिस निर्गत करने का निदेश दिया गया।
- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिन जिलों द्वारा जप्त बालू की नीलामी हेतु निविदा प्रकाशित नहीं की गयी है या निविदा के प्रकाशन के उपरान्त नीलामी नहीं हो पायी है, उन जिलों को निदेश दिया गया कि अविलंब निविदा का प्रकाशन कर यथाशीघ्र जप्त बालू की नीलामी कराना सुनिश्चित करें। साथ ही जप्त बालू की नीलामी में आ रही समस्याओं के विषय में विभाग से पत्राचार कर अवगत करायें।
- सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अधिक से अधिक (**K–लाईसेंस)** भंडारण अनुज्ञप्ति निर्गत करें, जिससे आमलोगों को सुगमता से खनिज की प्राप्ति हो सके।
- जिला खनन कार्यालय, वैशाली में तत्काल एक लिपिक का पदस्थापन करने का निदेश दिया गया।
- विभाग में MIS सिस्टम तैयार करने हेतु श्री अवनींद्र कुमार, आई0टी0 मैनेजर (मु0) को निदेश दिया गया।
- अवैध खनन एवं परिवहन में जप्त वाहनों में लगे VLTS/GPS में छेड़छाड़ साबित होने की स्थिति में उक्त वाहन का चालान अगले आदेश तक निर्गत नहीं करने, जुर्माना लगाने तथा वाहन मालिक द्वारा VLTS/GPS से संबंधित तर्क संगत कारण

बताये जाने पर खनिज विकास पदाधिकारी/सहायक निदेशक के स्तर से जॉच कर मामले का निष्पादन हेतु SOP/नियमावली तैयार करने हेतु संचिका उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

- GPS Standardization के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु संचिका उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।
- सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को विभाग द्वारा एक CUG सीम उपलब्ध कराने एवं NIC को एक नया ई–मेल आई0डी0 तैयार कराने का निदेश दिया गया।
- VLTS माड्यूल में आवश्यक सुधार हेतु NIC के साथ बैठक आयोजित कराने का निदेश दिया गया।
- कार्य विभागों में उपयोग हुए लघु खनिजों की मात्रा के विरूद्ध काटे गये चालान तथा चालान के अनुरूप मालिकाना फीस जमा किया गया है अथवा नहीं, इसकी गहनता से जॉच कराने का निदेश सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को दिया गया।
- अवैध खनन के संबंध में लिये जाने वाले जुर्माने की पूरी प्रक्रिया ऑन लाईन करने हेतु संचिका उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।
- सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि राजस्व समाहरण का मासिक प्रतिवेदन आगामी माह के 05 तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करा दें। प्रतिवेदन के ऑकड़े एकदम सही हों।
- जिला खनन कार्यालय नालंदा, सहरसा एवं रोहतास का संचालन निजी मकानों में किया जा रहा है, जिसे किसी सरकारी भवन में शीघ्र स्थानांतरित किये जाने हेतु संबंधित जिले के समाहर्त्ता से पत्राचार करने का निदेश अपर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग को दिया गया।
- अवैध खनन एवं परिवहन में जप्त वाहनों में लगे VLTS/GPS लॉक/अनलॉक करने हेतु टेक्निशियन की सहायता लिये जाने के लिये दर निर्धारित करने एवं इस कार्य हेतु विभाग से सभी जिलों को अतिरिक्त राशि आवंटित करने संबंधी संचिका उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

- ईंट भट्ठों से लंबित पुराने बकाया राशि के भुगतान को बढ़ावा देने हेतु OTS (one time Settlement) योजना लागू करने हेतु श्री विकास कुमार पासवान, सहायक निदेशक को आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनु0–निदेशक, खान, सहायक निदेशक (मु0), खनिज विकास पदाधिकारी (मु0) सभी सहायक निदेश/खनिज विकास पदा0, तिरहुत प्रमण्डलीय जिला/ आई0टी0 मैनेजर

अंत में सधन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0/–

(अवनीश कुमार सिंह)
सचिव

सं0स0–विविध (बैठक)–07/2024 3806 /एम0, पटना, दिनांक–15/06/26

प्रतिलिपि– सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/अपर सचिव कोषांग/सभी सहायक निदेशक (मु0)/सभी खनिज विकास पदाधिकारी (मु0)/सभी संबंधित जिलों के सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी/आई0टी0 प्रबंधक, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/06/26

सरकार के अपर सचिव